तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26-11-24	पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने हमारे मत में उचित नही है। अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद पूर्ति संलग्न मूल बाद रहे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 17/2022 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 23.03.2022 — श्रीमती भावना सिंह(RAS)

बउनवान

1 देवकीनन्दन पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी वार्ड नं. 5 गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

2. ईलायची पुत्री भंवरलाल पत्नी हरिराम सैनी जाति माली निवासी सुभाष नगर कोटा।

3. कंचन पुत्री भंवरलाल पत्नी गौरीशंकर जाति माली निवासी बून्दी।

4. मौत्या पुत्री भंवरलाल पत्नी तुलसीराम जाति माली निवासी गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राजस्थान।

5. लाली पुत्री भंवरलाल पत्नी बाबूलाल सैनी निवास खेडली फाटक तिलक कॉलोनी कोटा।

–प्रार्थिगण

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र गणेश जाति माली निवासी वार्ड नं. 5 गणेशपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

2. कल्याणमल पुत्र गणेश जाति माली निवासी वार्ड नं. 5 गणेशपुरा, लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान।

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः– 1. श्री बालकिशन रायका (एडवोकेट प्रार्थी)

2. श्री महेन्द्र रेबारी (एडवोकेट अप्रार्थिगण 1 ता0 3)

निर्णय

दिनांकः–26.11.2024

प्रार्थिगण ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि आराजी खाता संख्या नया 206, पुराना 199 के खसरा संख्या 1547 रकबा 0.10हैक्टर, खसरा संख्या 1548 रकबा 0.18हैक्टर, खसरा संख्या 1549 रकबा 0.10हैक्टर, खसरा संख्या 1550 रकबा 0.11हैक्टर, खसरा संख्या 1558 रकबा 0.08हैक्टर, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ग 1559 रकबा 0.11हैक्टर, खसरा संख्या 1560 रकबा 0.10हैक्टर, खसरा संख्या 1562 रकबा 0.14हैक्टर, खसरा संख्या 1566 रकबा 0.09हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 1.01हैक्टर वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिगण 1 लगायत 5 का 1/42 हिस्सा व प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 18 के शामलाती खाते में संयुक्त रूप से हिस्सा 1/7, 1/7 बराबर–बराबर सा. देह खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित चली आ रही है जिसकी जमाबंदी सम्तव् 2022 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वाद विषयक आराजी हिन्दु कुटुम्ब की पैतृक सम्पति का है, संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब की सम्पति का विभाजन पक्षकारों के मध्य विधिवत रूप से आज तक नहीं हुआ है और कृषि भूमि संयुक्त रूप से सहखातेदारी में चली आ रही थी। उसी अनुसार लगान राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है। प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 2 नाथुलाल, कल्याणमल पिसरान गणेश अपने हिस्से 1/7 की आराजी का विधिवत विभाजन करवाये बिना अपनी सहखातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थिगण के हिस्से की बाड को दिनांक 05.03.2022 को जला कर नष्ट कर दिया एवं प्रार्थिगण के हिससे पर जबरन ताकत के बल पर निर्माण कार्य करने व पक्का मकान बनाने पर आमादा हो रहे है। उक्त कृषिभूमि का बिना विभाजन करवाये ही कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन कर निर्माण करने का अधिकार अप्रार्थिगण 1 लगायत 2 को प्राप्त नहीं है। वाद विषयक आराजी के किसी भी खसरा संख्या जिस पर जब तक पक्षकारान का आपस में विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता है तब तक एक सहखातेदार कृषक द्वारा अपने हिस्से की कृषिभूमि पर काश्तकारी करने का कानूनी अधिकार है किन्तु किसी सहखातेदार को उसके हिस्से से बढकर किसी अन्य सहखातेदार के हिस्से पर निर्माण कार्य बिना विभाजन नहीं कर सकते है एवं जबरन ताकत के बल पर बिना विभाजन करवाये यदि कोई सहखातेदारी कृषि भूमि के स्वरूप को परिवर्तन करता है और अकृषि कार्य के उपयोग, उपभोग में लेता है तो न्यायालय उसके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर उसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। सह खातेदार गोपाली बाई पत्नी भंवरलाल की मृत्यु हो गई है उनके लिगलहिर्यस प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 है एवं सहखातेदार कालु पुत्र बिशन की मृत्यु हो चुकी है उनके लिगल हियर्स प्रतिपक्षी संख्या 5 लगायत 11 है एवं सहखातेदार श्रवण पुत्र लच्छीराम की मृत्यु हो चुकी है उनके लिगल हियर्स प्रतिपक्षी संख्या 12 लगायत 18 है इसलिए मृतक सह खातेदार को प्रार्थनापत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थिगण की माता गोपीबाई की मृत्यु के बाद उनके हिस्से 1/42 की कृषि भूमि शेष प्रार्थिगण के हिस्से में बंटेगी इसलिए प्रार्थिगण का हिस्सा 1/42,1/42 अर्थात कुल हिस्सा 1/7 हिस्सा निहित रहेगा। वाद विचारण में काफी समय लगने की संभावना है यदि दोहराने वाद प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 2 अपने मन्सुखें में कामयाब हो गये तो प्रार्थिगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगी इसलिए प्रार्थिगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है। अन्त प्रार्थिगण द्वारा निवेदन किया गया कि वाद विषयक आराजी पर प्रार्थिगण के हिससे पर प्रार्थना पत्र में आराजी में प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 2 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावें कि वह अपने हिस्से को बिना विभाजन करवाये कृषिभूमि पर पक्का निर्माण नहीं करें एवं प्रार्थिगण के हिस्से की कृषि भूमि पर कृषिकार्य में अनावश्यक रूप से व्यवधान पैदा नहीं करें, ऐसा कृत्य न तो आप स्वयं करें और नाही अपने अन्य प्रतिनिधि से करावायें।

प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं 1 लगायत 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी सं 1 ता 2 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज है। वाद विषयक कृषि भूमि का अप्रार्थी सं 1 ता0 2 के पिता एवं प्रार्थिगण के पिता व

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

परपाह के समय से ही बंटवारा हो रहा है उस बंटवारा अनुसार प्रार्थिगण व अप्रार्थी काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे है तथा मौके पर कोई विवाद नहीं है। यह कृषिभूमि पुश्तैनी है लेकिन मौके पर सभी पक्षकरों का विभाजन हो रहा है एवं विभाजन अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थिगण एवं अप्रार्थीगण सं 1,2 के बीच मेड़ बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सहखातेदार है एवं अपने हिस्से पर काश्त करने व कब्जा बनाये रखने के लिए स्वतंत्र व अधिकारी है। अप्रार्थी कृषि भूमि पर कृषि उपकरण रखने के लिए फार्म हाउस बना सकता है क्योंकि अपने हिससे की कृषि भूमि पर रहने के लिए व कृषि समान रखने के लिए कुल भू भाग निर्माण करने का अधिकार है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस ही नहीं बनता है क्योंकि अप्रार्थी भी सहखातेदार टीनेन्ट है इसलिए प्रार्थिगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है क्योंकि अन्य सहखातेदार को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र चलने लायक नहीं है क्योंकि सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक है इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थिगण के अधिवक्ता ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया किया किया कि वाद विषयक आराजी पुश्तैनी है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिगण 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/42 हिस्सा दर्ज है। संयुक्त हिन्दु कुटुम्ब की सम्पति का विभाजन पक्षकारों के मध्य विधिवत रूप से आज तक नहीं हुआ है और कृषि भूमि संयुक्त रूप से सहखातेदारी में चली आ रही है। प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 2 नाथुलाल, कल्याणमल पिसरान गणेश अपने हिस्से 1/7 की आराजी का विधिवत विभाजन करवाये बिना अपनी सहखातेदारी की कृषि भूमि पर प्रार्थिगण के हिस्से की बाड को नष्ट कर प्रार्थिगण के हिस्से पर जबरन ताकत के बल पर निर्माण कार्य करने व पक्का मकान बनाने पर आमादा हो रहे है। उक्त कृषिभूमि का बिना विभाजन करवाये ही कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन कर निर्माण करने का अधिकार अप्रार्थिगण 1 लगायत 2 को प्राप्त नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 2 अपने मन्सुखें में कामयाब हो गये तो प्रार्थिगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगी इसलिए प्रार्थिगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थिगण अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत DNJ 2013(4) Raj. Page no 1488, RRT 2023(2) Page no 919, RRD 1987 Page no. 330 पेश कर प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थिगण अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए कथन किया कि वाद विषयक कृषि भूमि का अप्रार्थी सं 1 ता0 2 के पिता एवं प्रार्थिगण के पिता व पितामाह के समय से ही बंटवारा हो रहा है उस बंटवारा अनुसार प्रार्थिगण व अप्रार्थी काबिज होकर काश्तकारी करते आ रहे है तथा मौके पर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थिगण एवं अप्रार्थीगण सं 1,2 के बीच मेड़ बनी हुई है। अप्रार्थी ने बाहमी बंटवारा अनुसार अपने हिस्से अनुसार कब्जे अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कृषि उपकरण, रहने के लिए कमरे व पशु बाड़ा बना रखा है जिसका उसको अधिकार प्राप्त है। प्रार्थिगण ने भूमि की किस्म परिवर्तन करने व बाड बंदी को जलाने संबंधी मिथ्या तथ्य अंकित किए है जबकी मौके पर कोई विवाद नहीं है। अप्रार्थी सं 1 लगायत 2 के अधिवक्ता ने एक तर्क दिया कि प्रार्थिगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के इस प्रार्थना पत्र में अन्य सहखातेदारकों को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा अधूरे तथ्य एवं दूर्भिसंधि की भावना से ग्रसित होकर केवल अप्रार्थिगण को ही यहां पक्षकार बनाया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र चलने लायक नहीं है क्योंकि सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र निराधार एवं खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थिगण का

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RBJ(12) 2005 Page no 345, RRT 2013(2) Page no. 1108 पेश किए।

हमारे उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली पर उपस्थित प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद विषयक कृषि भूमि वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थिगण का 1/42 हिस्सा प्रत्येक का एवं अप्रार्थी सं 1 लगायत का हिस्सा 1/7–1/7 अंकित है। वाद विषय आराजी की जमाबंदी में अन्य सहखातेदार भी अंकित है जिन्हें प्रार्थिगण द्वारा इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि प्रार्थिगण एवं अप्रार्थी सं 1 लगायत 2 दोनों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह तथ्य स्वीकार किया है कि वाद विषयक कृषि भूमि पुश्तैनी है एवं उनके हिस्से अनुसार कब्जे की कृषि भूमि के मध्य बाढ़ बनी हुई है जिससे अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस तथ्य को बल मिलता है कि वाद विषयक पुश्तैनी आराजी का बाहमी बंटवारा पूर्व किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 कोई अन्य व्यक्ति न होकर वाद विषयक आराजी के सहखातेदार है जिससे उनका इस पुश्तैनी कृषि भूमि हक अधिकार निहित है। अप्रार्थी द्वारा यह कथन किया है कि उन्होनें बाहमी बंटवारा अनुसार उनके कब्जे की कृषिभूमि के कुछ भू–भाग पर कृषि उपकरण रखने, कृषि कार्य हेतु रहने के लिए एवं पशुओं के लिए बाडा बनाया है जो बारिश के कारण जीर्ण–शीर्ण होने से उनकी मरम्मत का कार्य करवाया गया है उनके द्वारा प्रार्थिगण के कब्जे की कृषि भूमि पर कोई दखल अंदाजी नहीं की गई है। प्रार्थिगण द्वारा अन्य सहखातेदार को इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाकर केवल अप्रार्थी सं 1 लगायत 2 को ही पक्षकार बनाया गया है जबकि वाद पत्र में अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाया है जो न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थिगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्ट्रांत उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 वाद विषयक आराजी के सहखातेदार होने से प्राथमिक दृष्ट्या प्रार्थिगण के पक्ष में सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति कारित होना नहीं पाया जाता है। हमारे मत में सहखातेदार अप्रार्थी सं 1 लगायत 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थिगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 26–11–2024 को खुल इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)